चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 29.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 29.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन मे अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(i).उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी बुद्धसेन विक्रम, आरक्षी उज्जवल पाण्डेय द्वारा अभियुक्त श्रीपाल निषाद पुत्र छत्तु निषाद निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री शैलैन्द्र कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त शिवपूजन निषाद पुत्र देशराज निषाद निवासी रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन मे चौकी प्रभारी शिवरामपुर एवं उनकी टीम द्वारा कस्बा शिवरामपुर में हुयी चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 03 अभियुक्तों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 25.08.2024 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल पुत्र श्री प्रभु दयाल निवासी लैना बाबा खोही रोड़ कस्बा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनकी किराना की दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर किराना का सामान व नकदी चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 545/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी ने घटना के खुलासे हेतु चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी को निर्देशित किया गया। चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं उनकी टीम द्वारा आज दिनाँक 29.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.रामबाबू पुत्र सत्यनारायण 2.मनोज कुमार पटेल उर्फ बड़ा पुत्र चन्द्रपाल 3. प्रेम पटेल पुत्र द्वारिका निवासीगण घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 14 पैकेट राजश्री गुटखा, 02 पैकेट तम्बाकू, 78 पीस रिन साबुन, 01 पैकेट काजू, 03 स्टेशनरी केबिल, 02 पैन ड्राईव तथा वादी का आधार कार्ड, चोरी के 360/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.रामबाबू पुत्र सत्यनारायण निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

2.मनोज कुमार पटेल उर्फ बड़ा पुत्र चन्द्रपाल निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

3. प्रेम पटेल पुत्र द्वारिका निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

(i).14 पैकेट राजश्री गुटखा

(ii).02 पैकेट तम्बाकt

(iii).78 पीस रिन साबुन

(iv).01 पैकेट काजू

(v).03 स्टेशनरी केबिल

(vi). 02 पैन ड्राईव

(vi).वादी का आधार कार्ड

(vii).चोरी के 360/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी
2.आरक्षी श्यामू
3.आरक्षी नरेन्द्र कुमार
4.आरक्षी विपिन कुमार

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी सूर्यकान्त यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2024 धारा 380,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जगदीश उर्फ जग्गा पुत्र कालीचरन कोल निवासी इटवां डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामाधार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मु0न0 5340/13 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राकेश केशरवानी पुत्र धनपत उम्र 42 निवासी बाल्मीकि नगर कस्बा मानिकपुर चित्रकूट 2.सन्तोष कुमार पुत्र बाबूलाल उम्र 36 निवासी गांधीनगर कस्बा मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 रामाधार सिंह थाना मानिकपुर
2.आरक्षी भास्कर शुक्ला
3.महिला आरक्षी शिवानी चन्देल

(7). आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सोमवती अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न करने के लिए बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई
जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीन ने बताया कि हिंदू पांचांग के अनुसार सोमवती की अमावस्या 2 सितम्बर 2024 को पड़ रही है जो मेला 1 सितम्बर 2024 से 3 सितम्बर 2024 तक चलेगा मेला को देखते हुए 7 जोन तथा 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है जिसमें जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित कर दिए गए हैं तथा पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है।
आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर दोनों अपने में समन्वय बनाकर कार्य करें उन्होंने कहा कि जो नए मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं वह भी अपने ड्यूटी स्थल को पूर्व में निरीक्षण करें ले। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए एवं ड्यूटी में लगे यह देख ले कि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कहां की जिन मार्गो से श्रद्धालुओं आएंगे वहां पर भी ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने कहा कि पानी

का स्तर घटता बढ़ता रहता है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त टीम में इस पर सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि गोताखोर व नाव के संचालक प्रशिक्षित रहनी चाहिए। कहा कि विद्युत तार कहीं भी लटकता नहीं रहना चाहिए एवं पार्किंग स्थल पर तार का भी निरीक्षण करे, कहा कि कभी-कभी जनरेटर के तार भी खुले रहते हैं इसको सही कराना सुनिश्चित करें, उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह देखना है कि श्रद्धालु यहां से जाए तो उनको अच्छा लगे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सभी ड्यूटी पर लगे यह यह सुनिश्चित करें कि अपनी नीचे अस्तर के अधिकारीयो पर न छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए, कहा कि यह अवसर हम लोगों को मिला है इसमें हम लोग अच्छा कार्य करें। उन्होंने ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से कहा कि मंदाकिनी गंगा रामघाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव की व्यवस्था रहे। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया की परिक्रमा स्थल व रामघाट पर जो पत्थर टूट गए हैं उसको बदलवाए। उन्होंने जल संस्थान को निर्देशित किया कि टैंकरों की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराए। मंडला आयुक्त ने अवभिहीत अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां-जहां पर संवेदनशील है उसका चेक करते हुए सैंपलिंग कराए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी कर्वी को निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशन व परिक्रमा मार्ग पर बंदरों का प्रकोप ज्यादा रहता है वहां पर स्टैचू लगाकर समाधान किया जा सकता हैं।

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा कि गोताखोर के नाम मोबाइल नंबर भी पुलिस के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराए, उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी से कहा कि पूरे मेला क्षेत्र की अच्छी तरह से साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल शौचालय आदि की व्यवस्था रहे तथा विद्युत जाने के बाद जनरेटर की भी व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा की परिक्रमा मार्ग पर जो स्लोप है उसे पर मैट भी बिछाए जिससे कि श्रद्धालु फिसलने ना पाए। रामघाट यूपीटी तिराहा परिक्रमा मार्ग खोही पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ खोया पाया केंद्र भी बनाया जाए सीसीटीवी कैमरा भी ठीक कराया जाए रामघाट में चेंजिंग रूम भी बनाया जाए सभी कार्यो के लिए कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाकर उसकी सूची अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराए , पुलिस उपमहानिरीक्षक ने पुलिस के अधिकारियों से कहा की परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सभी प्वाइंटों पर तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए मेला को कुशल संपन्न कराया जाए उन्होंने कहा कि पार्किंग की जो दर सभी वाहनों की निर्धारित की गई है उसी के आधार पर वसूली कराई जाए प्राइवेट पार्किंग किसी भी दशा में नहीं संचारित होगी मेला के दौरान जीआरपी रेलवे से ट्रेन में यात्रियों की भीड़ के बारे में भी जानकारी करते रहें, यातायात प्रभारी से कहा कि सभी पार्किंग स्थलों पर पेयजल शौचालय प्रकाश टेंट आदि की व्यवस्था अच्छी तरह से कराया जाए पार्किंग स्थलों पर विद्युत तार आदि को भी देख लिया जाए, अधीक्षण अभियंता विद्युत से कहा कि रामघाट व परिक्रमा मार्ग सहित पूरे मेला क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को देख ले विद्युत तार पोल आदि को अवश्य देखा जाए तथा विद्युत व्यवस्था भी निर्वाद्ध रूप से मेला के दौरान बनी रहे यह भी सुनिश्चित कर लें, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि स्वास्थ्य कैंप एंबुलेंस चिकित्सा दवाओं के साथ ओआरएस घोल की भी व्यवस्था की जाए। एआरएम रोडवेज ने बताया कि 110 अतिरिक्त बसों को भी लगाया गया है। यातायात प्रभारी से कहा कि टेंपो टैक्सी ई रिक्शा पर ओवरलोडिंग पर विशेष ध्यान दें किसी भी वाहन पर ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए, उन्होंने फायर सर्विस की व्यवस्था पर एफ एसो से कहा कि जिन प्वाइंटों में कराई जा रही है वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित करें, उन्होंने उप जिलाधिकारी कर्वी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर से कहा कि मेला के पूर्व सभी व्यवस्थाएं देख ले मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं के बारे में तालमेल स्थापित करें कंट्रोल रूम के माध्यम से दोनों प्रांतों से श्रद्धालुओं की भीड़ का आदान-प्रदान भी करते रहें

जिला पूर्ति अधिकारी से कहा की परिक्रमा मार्ग में जलेबी वाली गली की दुकानों पर छापामारी की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र मंडल बांदा श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सभी ड्यूटी मैं लगे प्रशासनिक अधिकारियों की सूची शेयर किया गया है हम लोगों का दायित्व है कि इसका पालन करें उन्होंने कहा कि इस मेले में भीड़ होगी शासन के पास भी इसकी सूचना है किसी भी विभाग से अनुपालन नहीं होनी चाहिए यह

मेल बहुत ही चुनौती पूर्ण है इसमें हम लोगों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मेला अभी से आ रहा है जो धर्मशालाओं में रुके हैं भीड़ को दृष्टिगत देखते हुए हमें संपन्न करना है उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होती है जीआरपी पुलिस इस पर भी ध्यान दें उन्होंने कहा कि ट्रेनों पर भीड़ लद कर आती है ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेशन से निकलने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मेला व रेलवे एवं एमपी के कंट्रोल रूम को समन्वय बनाकर कार्य करें, कहा कि होल्डिंग एरिया को आवश्यक रूप से देख ले वहां पर पानी व शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए कहां की रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है तो पहले से ही कार्य प्लान बनाकर कार्य करें उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क व गाइड की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि मेला सकुशल संपन्न कराने में मदद होगी, कहा कि मेले में ट्रैक्टर से आने वाले श्रद्धालुओं को चेक पॉइंट पर चेक करते रहें उन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त बसें लगी है उसका भी कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम को दिया जाए एवं जो बसें लगाई गई है उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कहा कि पार्किंग स्थल पर मार्किंग बोर्ड भी लगे उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों की रेट सूची भी लगे जिससे कि अवैध वसूली न होने पाए, पुलिस उपमहानिरीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा संचालित रहनी चाहिए कहां की जो मेला में श्रद्धालु अपने वाहन से आते हैं कभी-कभी वहा खराब हो जाता है उसके लिए क्रेन की व्यवस्था कराए जिससे की तत्काल उसे मार्ग से हटाया जा सके इसकी भी शेयर सूची शेयर करें। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ विनम्र रूप से बात करें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए डायवर्सन रूट को पहले से देख ले डायवर्सन स्थिति कहां से किया जाए यह भी सुनिश्चित कराए।

जिला अधिकारी ने मंडला आयुक्त एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो मार्गदर्शन दिया गया है उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक जीआरपी झांसी श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमांडेंट झांसी सीआरपीएफ मोहम्मद असलम, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा भूपेश दिवेदी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे

(8). आज दिनाँक 29.08.2024 को आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा एवं जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सोमवती/भाद्रपद अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए रेलवे स्टेशन कर्वी का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक जीआरपी झांसी श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमांडेंट झांसी सीआरपीएफ मोहम्मद असलम, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय चित्रकूट एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 29 अगस्त 2024 को स्पोर्ट स्टेडियम चित्रकूट में हॉकी के महान जादूगर दद्दा ध्यानचंद जी जिन्होंने पूरे विश्व में हॉकी खेल का लोहा मनवाया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को ओलंपिक पदक दिलवाया उन्हीं की स्मृति में 14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा कराया गया प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री विकास कुमार जनपद न्यायाधीश के द्वारा किया गया उन्होंने दादा ध्यानचंद जी को एक महान हॉकी खिलाड़ी बताया तथा

कहा उन्होंने अपने देश के लिए हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था उनकी हॉकी में जादूगर थे उनका जन्म प्रयागराज की धरती में हुआ वह प्रदेश और देश के लिए खेलते हुए कई कीर्तिमान बनाए प्रतियोगिता का पुरस्कार श्री बालकृष्ण त्रिपाठी आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल एवं श्री अजय कुमार सिंह डीआईजी चित्रकूट धाम मंडल के द्वारा किया गया उन्होंने खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत एवं अनुशासन में रहकर खेलने की नसीहत तथा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में 128 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। छिछारिया खुर्द की टीम विजेता तथा गढ़वा प्राथमिक विद्यालय की टीम उपविजेता रही विजय कुमार द्वारा मुख्य अतिथि तथा खिलाड़ियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।

प्रतियोगिता के दौरान श्री दयानंद, श्री श्याम सुंदर, श्री कृष्णा, अंगद सिंह, फिरोज अंसारी उपस्थित रहे।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री राकेश मौर्या एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/022 धारा 304,201 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. शिवसागर सिंह पटेल पुत्र स्व0 महावीर 2. रामजतन कोल पुत्र स्व0 मुन्ना 3. बब्बू उर्फ रामपाल विश्वकर्मा पुत्र केशव प्रसाद उर्फ फुन्नी विश्वकर्मा निवासी मुर्का थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष का कारावास व कुल 36 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.03.022 को वादी दीपक सिंह पुत्र गिरवरधारी सिंह निवासी ग्राम मौजरा मुरका द्वारा थाना बरगढ़ पर सूचना दी गई कि अज्ञात लोगों द्वारा वादी के पिता गिरवरधारी सिंह पुत्र हनुमानदीन उम्र 64 वर्ष की हत्या कर शव व हत्या का अपराध छिपाने को लेकर शव को रेलवे लाइन पर रख दिया है कि सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 17/022 धारा 302/34 304(II),120B,201 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री शिवमूरत यादव द्वारा की गई। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त शिवसागर सिंह पटेल पुत्र स्व0 महावीर 2. रामजतन कोल पुत्र स्व0 मुन्ना 3. बब्बू उर्फ रामपाल विश्वकर्मा पुत्र केशव प्रसाद उर्फ फुन्नी विश्वकर्मा निवासी मुर्का थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 16.06.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 121/2019 धारा 498ए,323,/34,325/34,316/34 भादवि0 व 4 द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. अरविन्द पुत्र उमाशंकर 2. लल्ली देवी पत्नी उमाशंकर 3. उमाशंकर पुत्र

खिलाड़ी निवासीगण ग्राम मटियारा मजरा ढढवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष कारावास व 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.07.2019 को वादी श्री शंकरलाल निवासी लोहगरा जनपद प्रयागराज द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि उनकी पुत्री फूलकली की शादी मऊ थाने के ग्राम मटियारा मजरा ढढवार निवासी अरविन्द कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजनों ने फूलकली को लाठी डण्डों से मारकर उसके हाथ पैर तोड दिए और प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसे सूचना दी गयी कि उसकी बेटी सीढी से गिरकर घायल हो गई है मायके पक्ष के लोगों के अस्पताल पहुंचने पर ससुरालीजन बिना बताए वहां से भाग गए। थाना मऊ में धारा 498ए,323,/34,325/34,316/34 भादवि0 व 4 द0प्र0 अधिनियम बनाम 1. अरविन्द पुत्र उमाशंकर 2. लल्ली देवी पत्नी उमाशंकर 3. उमाशंकर पुत्र खिलाड़ी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री विवेक प्रताप सिंह द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 15.09.2019 को आरोपीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।